परियोजना का नामः–एक्सेस कन्ट्रोल्ड (ग्रीन फील्ड) गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना जो कि उ0प्र0 राज्य के जनपद–मेरठ, हापुड़, बुलन्दशहर, अमरोहा, सम्भल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ तथा प्रयागराज से होकर गुजरेगी (FP/UP/ROAD/144793/2021)।

भारत सरकार के पत्रांक–11–29/2004 एफ0सी0 दिनांक 15.07.2004 पर बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित है

1. उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथॉरिटी (यूपीडा) के द्वारा जनपद–मेरठ से प्रयागराज तक निर्माण किये जा रहे गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना से 90.6492 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं 30.8224 हे0 संरक्षित वन भूमि अर्थात कुल 121.4716 हे0 वन भूमि प्रभावित हो रही है।
2. यदि आरक्षित अथवा संरक्षित वन भूमि का हस्तान्तरण पूर्व में गैर वानिकी कार्य के प्रयोग हेतु किसी अन्य संगठन/संस्था को कर दिया गया होगा तो पुनः आरक्षित एवं संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी उपयोग करने की आवश्यकता यदि किसी अन्य संगठन/संस्था को होगी तो नियमानुसार भारत सरकार से अनुमति प्राप्त की जायेगी।
3. प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से स्वीकृति हेतु प्रक्रिया में है।

अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक
विकास प्राधिकरण (यूपीडा)
(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

C.S.

(अरविन्द कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।